

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /XXVII(8)/ वाणि० कर (वैट) / 2008
दिनांक: देहरादून : १५ मार्च, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना सर्वीर्यान है:

अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तराचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० १ वर्ष 1904) (सामय-सामय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड (उत्तराचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची-। में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्थीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-। के क्रमांक 4 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी—

“मत्स्य आहार, कुकुट आहार, पशु आहार और पशु चारा, जिरामें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चौकर, जवी, ग्वार, तेल रहित राइस पॉलिश, तेल रहित राइस ब्रान, तेल रहित राइस हस्क और तेल रहित पैडी हस्क या धान का बाहरी छिलका तथा मत्स्य, कुकुट एवं पशु आहार अनुपूर्ति, सांद्रित चारा तथा ऐडिटिव (योज्यक), व्हीट ब्रान तथा तेल रहित केक, पशुओं का संतुलित आहार, संतुलित कुकुट आहार एवं संतुलित मत्स्य आहार समिलित हैं लेकिन इसमें खली, राइस ब्रान, राइस हस्क समिलित नहीं है।”

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख राजिय, वित्त।

सं० ७८/XXVII(8)/ वाणिज्य कर(वैट) / 2008 तददिनांक।

~~अनुभवपत्रिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—~~
~~यह कार्यवाही के आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने रत्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का काट करें।~~
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी अपर आयुक्त प्रतियों इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजाट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियों उत्तराखण्ड द्वारा अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का काट करें।
3- गार्ड काईल हेतु।

आशा रो,

Jewarwal

(रमी०प्रा०सेमवाल)
आधिकारिक, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 78 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 14 March, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG
NO. 78 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008
Dehradun :: Dated: 14 March, 2008

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-I of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007-

Amendment

For the existing entry at Sl.No. 4 of Schedule-I, the following entry shall be substituted:-

"Aquatic feed, poultry feed, cattle feed and cattle fodder, which include green fodder, chunni, bhusi, chhilka, chokar, javi, gower, deoiled rice polish, deoiled rice bran, deoiled rice husk, deoiled paddy husk or outer covering of paddy and aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives, wheat bran and deoiled cake, balanced cattle feed, balanced poultry feed and balanced aquatic feed but it excludes khali, rice bran, rice husk."

Alok Jain

(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE